



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 2072 वर्ष 2026

रणजीत

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार (गण)

—

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: पवन कुमार

पाण्डेय

विपक्षी पक्षकार (रों) के अधिवक्ता

: सरकारी

अधिवक्ता

—

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आज दायर किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक—जो पुलिस थाना तालगाँव, जिला सीतापुर में दर्ज केस क्राइम संख्या 15 वर्ष 2026 धारा 310(2), 317(3), 61(2), 111(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत; (जो भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धारा 395, 412, 120-B के समतुल्य हैं) में अभियुक्त है—विचारण के समय जमानत पर रिहाई की माँग कर रहा है।
4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 310(2) (जो अब निरस्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के समान है) के तहत दिनांक 18.01.2026 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि लगभग 1:00 बजे रात में, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सूचना देने वाले के घर में चोरी की और 4,00,000 रुपये की नकदी तथा आभूषण लूट लिए, और साथ ही सूचना देने वाले को जान से मारने की धमकी भी दी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्राथमिकी प्रारम्भ में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। जाँच के समय, पुलिस ने दिनांक 24.01.2026 का एक बरामदगी ज़ापन तैयार किया, जिसमें यह कहा गया था कि एक 'मुखबिर खास' (गुप्त सूचना देने वाले) की सूचना पर, दो मोटरसाइकिलों को रोका गया और उनमें से एक पर सवार आवेदक को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर, आवेदक के कब्जे से 38,000 रुपये की नकद राशि और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जबकि अन्य सह-आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, ज़िंदा कारतूस और कुछ आभूषण बरामद होना दिखाया गया।

6. आगे यह भी कहा जाता है कि बरामदगी की पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 22.01.2026 को, दो पुलिसकर्मी पहले ही आवेदक को उसके ससुराल से हिरासत में ले चुके थे। उसी दिन, आवेदक की पत्नी ने आई.जी.आर.एस पोर्टल के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक, जिला सीतापुर के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके साथ वे तस्वीरें भी संलग्न थीं जिनमें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी आवेदक को ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो दिन बाद, आवेदक का नाम इस वर्तमान प्रकरण में झूठा जोड़ा गया है। आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है, तथा वह 24.01.2026 से जेल में है।

7. इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त वीरेंद्र कुमार, जिसके कब्जे से कथित तौर पर मात्र 1,130 रुपये बरामद हुए थे, को इस न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा दिनांक 13.03.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त जमानत आदेश की एक प्रति आज दाखिल किए गए पूरक शपथ पत्र के साथ एस.ए.-1 के रूप में संलग्न की गई है; अतः, आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास मात्र एक प्रकरण तक सीमित है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के अंतर्गत दर्ज है; और जैसा कि आज दाखिल किए गए पूरक शपथ-पत्र के अनुच्छेद 6 में उल्लेख किया गया है, इस प्रकरण में उसे पुलिस थाना स्तर पर ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया है और यह दलील दी है कि सह-आरोपी वीरेंद्र कुमार का प्रकरण तथ्यों के आधार पर अलग है और आवेदक समानता का अधिकारी नहीं है। यद्यपि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की पत्नी द्वारा आई.जी.आर.एस पोर्टल पर दिनांक 22.01.2026 को की गई शिकायत से संबंधित तथ्य का खण्डन नहीं कर सके, और निर्देशों में यह विशेष रूप से स्वीकार किया गया है कि ऐसी शिकायत कथित गिरफ्तारी और बरामदगी से दो दिन पूर्व प्राप्त हुई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित सामग्री, विशेष रूप से आवेदक की पत्नी द्वारा 22.01.2026 को की गई शिकायत पर विचार करने के पश्चात –जिसमें यह दर्शाया गया है कि आवेदक को कथित बरामदगी और 24.01.2026 को हुई गिरफ्तारी से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था–प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि यह एक ऐसा उपयुक्त प्रकरण है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

11. तदनुसार, यह जमानत अर्जी **स्वीकार** की जाती है।

12. आवेदक **रंजीत** को उपर्युक्त केस क्राइम संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी अनुबंध और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के समय अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के समय साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी (साक्षियों) पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(vi) आवेदक, सुनवाई न्यायालय के समक्ष, निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक, साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब सुनवाई स्थगित करने का कोई अनुरोध नहीं करेगा।

(viii) आवेदक, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

14. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

25 मार्च, 2026

दिव्य

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।